

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3(ग)/ए.सी.पी./विविध/अलेसे-II/ 1927

दिनांक:- 24.11.2017

विज्ञप्ति

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के जिन कार्मिकों की एसीपी दिनांक 01.10.2017 को अथवा इसके पश्चात् देय होती है तथा सातवें वेतनमान में वेतन स्वीकृति का विकल्प दिनांक 01.10.2017 से दिया है उनके एसीपी स्वीकृति हेतु प्रकरण सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के पश्चात् भिजवायें। जिन कार्मिकों ने सातवें वेतनमान स्वीकृति का विकल्प उक्त तिथि के पश्चात् दिया है, उनके एसीपी प्रकरण मय विकल्प पत्र की छायां प्रति के पूर्व की भांति स्वीकृति हेतु भिजवायें।


(सांवरमल)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक:- एफ. 3(ग)/ए.सी.पी./विविध/अलेसे-II/ 1927

दिनांक:- 24.11.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
3. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।
4. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)